न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पाठासीन अधिकारी – मनसुख राम डामोर आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 57/2019 वाद
दायर दिनांक – 17/07/2019
निर्णय दिनांक – 18/02/2021

अनवान

1. लालुराम पिता नानालाल गाडरी निवासी ओडा तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. भूमिधारक तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादी

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्त

निर्णय

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत स्वत्व घोषणा एवं ईन्द्राज दुरस्ती के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम ओडा तहसील रेलमगरा में वादी के सहखातेदारी के रूप में निम्न आराजीयात सख्या 699, 707, 709, 711 कुल किता 4 कुल रकबा 05–05 बिघा । प्रमाण में नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश है। ग्राम नारायणगंज तहसील रेलमगरा में वादी के सहखातेदारी के रूप में निम्न आराजीयात सख्यां 479, 484, 2058/482, 2059/483, 2060/485, 2061/488 कुल किता 06 कुल रकबा 8–10 बिघा व आराजी सख्या 486 कुल किता 01 कुल रकबा 00–04 बिस्वा। प्रमाण में नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश है। उक्त आराजीयात में वादी का नाम सहखातेदार के रूप में नारू के नाम से दर्ज है। जबकि वादी का नाम नारू नही होकर लालुराम है व वादी को लालुराम पिता नानालाल के नाम से ही जाना व माना जाता है। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में लालुराम अंकन होना चाहिये था लेकिन लालुराम की जगह नारू अंकन हो गया। क्योंकि श्री नानालाल जी की मृत्यू जब वादी 14 वर्ष का था तब ही हो गई थी जिससे जब नामान्तरकरण खोला गया तब सहवन से वादी का नाम लालुराम के बजाय नारू दर्ज हो गया था जबकि वादी को लालुराम के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। जो दस्तावेज वादी के नाम का है उसमें आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र निर्वाचन आयोग का, सभी में लालुराम पिता नानालाल के नाम से ही वादी का नाम अंकन है। खातेदार नारू पिता नाना एवं वादी लालुराम पिता नानालाल एक ही व्यक्ति है। इस नाम का ओर कोई व्यक्ति गांव ओड़ा में नहीं है। वादी को अभी अपनी जमाबंदियो की नकलो की आवश्यकता हुई उसमें पटवारी हल्का से जानकारी हुई कि वादी का नाम राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में लालुराम पिता नानालाल की बजाय नारू पिता नाना दर्ज है जिससे वादी ने राजस्व

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

अभिलेख में नाम सुधारने हेतु पटवारी हल्का को कहां तो वादी को मौखिक रूप से यह बताया गया कि यहां पर इस तरह से नाम नही सुधारा जा सकता है। तहसील में जाना वहां तुम्हारा नाम सुधर जायेगा। इसके बाद वादी प्रतिवादी के यहां बार बार जाता रहा तो वादी का नाम नही सुधारा गया व आज से एक माह पूर्व अन्तिम बार वादी प्रतिवादी के यहां जाकर राजस्व अभिलेख में नारू पिता नाना के बजाय लालुराम पिता नानालाल अपना नाम अंकन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने कहा कि इसके लिए वादी को घोषणा राजस्व अभिलेख में सही अंकन व ईन्द्राज दुरूस्ती का वाद सहायक कलक्टर महोदय के न्यायालय में लगाना होगा। जिससे वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अपने नाम लालुराम पिता नानालाल को राजस्व अभिलेख में नारू पिता नाना के बजाय दर्ज कराने व राजस्व अभिलेख में नारू पिता नाना की बजाय लालुराम पिता नानालाल अंकन करवाने व इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत करे। जिससे इस निमित वादी का यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात के अलावा अन्य दस्तावेजो में वादी का नाम सही अंकन है जो लालुराम पिता नानालाल है जबकि राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में लालुराम पिता नानालाल के बजाय नारू पिता नाना गलत अंकन है इस कारण वादी न तो इन भूमियों बाबत् कोई किसी प्रकार का रहन, विक्रय आदि कर सकता है जिससे वादी के लिए उक्त वाद लाना ही आवश्यक हो गया है। वादी ने इस बाबत् प्रतिवादी को नाम सुधारने हेतु कहा व ईन्द्राज को दुरूस्त करने व राजस्व अभिलेख में सही अंकन करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया व वाद के जरिये ही नाम सुधारने को कहा व अन्तिम बार आज से एक माह पूर्व वादी ने प्रतिवादी को अपना सही नाम अंकन नारू पिता नाना की बजाय लालुराम पिता नानालाल राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया। तब से अन्तिम बार वादी का वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी का वाद विरूद्ध राजस्थान राज्य तहसीलदार महोदय के विरूद्ध प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र देना होता है लेकिन प्रतिवादी ने मौखिक रूप से मना कर दिया व मामला वादी को लोन लेना आवश्यक को होने से आवश्यक प्रकृति का पाया जाने से धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र वाद की स्वीकृति बाबत् वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी की उक्त आराजीयात ग्राम ओड़ा व नारायणगंज पटवार हल्का ओड़ा, तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित होने से व वाद राजस्व अभिलेख में अपना नाम सही अंकन कराने व ईन्द्राज दुरूस्ती तथा घोषणा का होने से उक्त वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको है।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी पारित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम सं. एक में वर्णित आराजीयात में वादी का नाम नारू पिता नाना है के बजाय घोषणा के जरिये राजस्व अभिलेख में लालुराम पिता नानालाल अर्थात् वादी का नाम नारू के बजाय लालुराम ईन्द्राज को दुरूस्त करते हुये राजस्व अभिलेखो में अंकन फरमाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 व 02 रेकार्ड अनुसार सही है, कलम संख्या 03 वादी स्वयं सिद्व करे तथा कलम संख्या 04, 05, 06, 07 कानूनी है। तथा वादी अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्लयू 1 एवं दस्तावेज जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

की गयी एवं राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी जिसमें वादी का नाम लालुराम अंकित है। वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया ग्राम ओडा तहसील रेलमगरा में वादी के सहखातेदारी के रूप में निम्न आराजीयात सख्या 699, 707, 709, 711 कुल किता 4 कुल रकबा 05–05 बिघा व ग्राम नारायणगंज तहसील रेलमगरा में वादी के सहखातेदारी के रूप में निम्न आराजीयात सख्यां 479, 484, 2058/482, 2059/483, 2060/485, 2061/488 कुल किता 06 कुल रकबा 8–10 बिघा व आराजी सख्या 486 कुल किता 01 कुल रकबा 00–04 बिस्वा में अंकित वादी को नारू पिता नानालाल के स्थान नारू उर्फ लालुराम पिता नानालाल के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इसी अनुरूप अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा